न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी (राजस्व) नोहर

पीठासीन अधिकारी का नाम : श्वेता कोचर (आर0ए0एस0)
वाद सं0 : 421 सन 2022
अनवान :–

1. कृष्ण कुमार पुत्र रामस्वरूप जाति जाट निवासी ढिलकी जाटान तहसील नोहर ।

वादी

बनाम

1. साहबराम पुत्र रामस्वरूप जाति जाट साकिन ढिलकी जाटान तहसील नोहर।
2. चन्दोदेवी पत्नी महावीर जाति जाट साकिन ढिलकी जाटान तहसील नोहर।
3. मोहन पुत्र महावीर जाति जाट निवासी ढिलकी जाटान तहसील नोहर।
4. संगीता पत्नी सुधीर पुत्र महावीर जाति जाट साकिन ढिलकी जाटान तहसील नोहर जिला हनुमानगढ।
5. अक्षय पुत्र सुधीर पुत्र महावीर जाति जाट साकिन ढिलकी जाटान तहसील नोहर।
6. आदित्य पुत्र सुधीर पुत्र महावीर जाति जाट साकिन ढिलकी जाटान तहसील नोहर
7. सुरेन्द्र कुमार पुत्र महेन्द्र सिह जाति जाट साकिन ढिलकी जाटान तहसील नोहर।
8. जगदीश प्रसाद पुत्र महेन्द्रसिह जाति जाट साकिन ढिलकी जाटान तहसील नोहर।
9. कान्ता पत्नी सुरेन्द्रसिह जाति जाट साकिन ढिलकी जाटान तहसील नोहर।
10. अजय कुमार पुत्र राजबाला जाति जाट साकिन ढिलकी जाटान तहसील नोहर।
11. शिवराज पुत्र हेमराज जाति जाट साकिन ढिलकी जाटान तहसील नोहर।
12. भारती पुत्री राजेराम जाति जाट साकिन ढिलकी जाटान तहसील नोहर।
13. मांगेराम पुत्र राजेराम जाति जाट साकिन ढिलकी जाटान तहसील नोहर।
14. राजेराम पुत्र रामजस जाति जाट साकिन ढिलकी जाटान तहसील नोहर।
15. रोहताष पुत्र रामस्वरूप जाति जाट साकिन ढिलकी जाटान तहसील नोहर।
16. शकुन्तला पुत्री रामस्वरूप जाति जाट साकिन ढिलकी जाटान तहसील नोहर।
17. सुमित्रा पुत्री रामस्वरूप जाति जाट साकिन ढिलकी जाटान तहसील नोहर।
18. सावित्री पुत्री रामस्वरूप जाति जाट साकिन ढिलकी जाटान तहसील नोहर।
19. गुडडी पुत्री रामस्वरूप जाति जाट साकिन ढिलकी जाटान तहसील नोहर।
20. हेमलता पुत्री रामस्वरूप जाति जाट साकिन ढिलकी जाटान तहसील नोहर।
21. कमला पत्नी ओमप्रकाश जाति जाट साकिन ढिलकी जाटान तहसील नोहर।
22. मनोज कुमार पुत्र ओमप्रकाश जाति जाट साकिन ढिलकी जाटान तहसील नोहर।
23. मुक्ता पुत्री ओमप्रकाश जाति जाट साकिन ढिलकी जाटान तहसील नोहर।
24. मेधा पुत्री ओमप्रकाश जाति जाट साकिन ढिलकी जाटान तहसील नोहर।
25. सतीश कुमार पुत्र महेन्द्रसिह जाति जाट साकिन ढिलकी जाटान तहसील नोहर।
26. सन्तोष पुत्री महेन्द्रसिह जाति जाट साकिन ढिलकी जाटान तहसील नोहर।
27. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर जिला हनुमानगढ।

प्रतिवादीगण

राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 88

उपस्थित : श्री रविन्द्र कुमार गोदारा अधिवक्ता वादी
पेरोकार राज

निर्णय दिनांक :– 23/06/2022

सक्षेप में तथ्य इस प्रकार से है कि वादी ने जरिये अधिवक्ता यह वाद अन्तर्गत राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 88 के तहत इस आश्य का पेश किया गया की रोही मौजा चक 10 जीजीएम के खाता संख्या 75/35 की कुल 15.1800हैक्ट भूमि वर्तमान राजस्व रिकार्ड में वादी एवं प्रतिवादीगण के नाम मुश्तरका खाते में दर्ज है ।

वाद भूमि पूर्व में रामस्वरूप के नाम से दर्ज थी जिनके देहान्त होने पर विरास्तन से वादी एव प्रतिवादीगण के नाम विरास्तन से दर्ज हुई है

वादी एव प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 26 एक ही परिवार के सदस्य है जिन्होने आपसी सहमति से बाद भूमि का परिवारिक समझौता किया गया था जिसमें

प्रतिवादी संख्या 10 ,11 ने अपने हक हिस्सा की भूमि प्रतिवादी संख्या 9 के पक्ष में एवं प्रतिवादी संख्या 15 जो वादी का भाई ने अपने हक हिस्सा की भूमि को अपने भाई एव अपने भाई के पुत्रो के पक्ष में तथा प्रतिवादी संख्या 16 ता 20 जो वादी की बहने है ने अपने हक हिस्सा की भूमि का त्याग अपने भाईयों के पक्ष में प्रतिवादी संख्या 21 ता 24 जो वादी के भाई

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
नोहर (हनुमानगढ़)

Scanned with CamScanner

ओमप्रकाश के वारिसा है अपने हक हिस्सा की भूमि का वादी के पक्ष में एव प्रतिवादी संख्या 25 ,26 वादी के भाई रोहताश के वारिस है ने अपने हक हिस्सा प्रतिवादी 7 ,8 के पक्ष में त्याग किया इसप्रकार प्रतिवादी संख्या 9, 10 ,15 ता 26 ने अपने हक हिस्सा की भूमि का त्याग वादी एव प्रतिवादी संख्या 1 ता 8 ,11 ता 14 के पक्ष में किया जा चुका है एवं वादी एव प्रतिवादी संख्या 1 ता 8 ,11 ता 14 ने अपने हक हिस्सा एवं भूमि काश्त की सुविधा को ध्यान में रखते हुए वाद भूमि का बाहमी बटवारा कर लिया है जो वाद की मद संख्या 4 में दर्ज है इसी अनुसार भूमि काश्त करते आ रहे है परन्तु राजस्व रिकार्ड में वादी एव प्रतिवादीगण के परिवारिक समझौता /बाहमी बटवारा के अनुसार दर्ज नही है जिसे बाहमी बटवारा के अनुसार राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा पाने के अधिकारी है।

वादी ने प्रतिवादी संख्या 1 ता 26 को कई मर्तबा कहा की वादी व प्रतिवादीगण के परिवारिक समझौता एवं बाहमी बटवारा के अनुसार भूमि राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा देवे तो आज कल आज कल करते रहे किन्तु अन्त में इन्कार हो गये इसलिये यह वाद पेश किया गया है।

अतः वादी का वाद डिक्री किया जाकर घोषणा की जावे की वादी एव प्रतिवादीगण का परिवारिक समझौता/बाहमी बटवारा अनुसार भूमि राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा पाने के अधिकारी है। वादी का वाद डिक्री फरमाया जावे।

वादी का वाद प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया प्रतिवादी संख्या 1 ता 26 जरिये अधिवक्ता न्यायालय में उपस्थित आकर वादी के वाद को स्वीकार करते हुए ईकबाल दावा पेश किया जाकर प्रतिवादी संख्या 1 ता 26 ने निवेदन किया की वाद भूमि पूर्व में उनके पूर्व रामस्वरूप के नाम से दर्ज थी जिनके देहान्त होने पर विरास्तन से वादी एव प्रतिवादीगण के नाम से मुश्तरका खाते में दर्ज हुई है वादी एव प्रतिवादी संख्या 1 ता 26 एक ही परिवार के सदस्य है तथा प्रतिवादी संख्या 9 ,10 ,15 ता 26 ने निवेदन किया की परिवारित समझौता /बाहमी बटवारा में उन्होने अपने हक हिस्सा की भूमि का त्याग वादी एव प्रतिवादी संख्या 1 ता 8 ,11 ता 14 के पक्ष में किया जा चुका है इसलिये वाद भूमि वादी एव प्रतिवादी संख्या 1 ता 8 ,11 ता 14 के हक हिस्सा की भूमि है जिसे उनके नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज की जाती है तो किसी प्रकार का ऐतराज नही है तथा प्रतिवादी संख्या 1 ता 8 ,11 ता 14 ने निवेदन किया की उन्होने आपसी सहमति से वाद भूमि का काश्त की सूविधा को ध्यान में रखते हुए बाहमी बटवारा कर लिया है जो वाद की मद संख्या 4 में दर्ज है इसी अनुसार भूमि काश्त करते आ रहे है वादी एव प्रतिवादी संख्या 1 ता 8 ,11 ता 14 के बाहमी बटवारा के अनुसार भूमि राजस्व रिकार्ड में दर्ज की जाती है तो किसी प्रकार का ऐतराज नही है व अपने कथनों के समर्थन में ईकबाला दावा पेश किया गया। शामिल मिसल किया एवं प्रतिवादी संख्या 27 पेरोकार राज ने जबाब पेश किया की वादी के द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य सबुतों के आधार पर राज्य हकों को सुरक्षित रखते हुए निस्तारण किया जाता है तो कोई ऐतराज नही है जबाब शामिल मिसल किया गया।

प्रकरण में प्रतिवादीगण का ईकबाल प्रस्तुत होने के कारण तनकी की आवश्यकता नही रही साक्ष्य में वादी ने अपना शपथ पत्र पेश किया जिस पर प्रतिवादीगण के द्वारा जिरह नही करने के कारण जिरह शुन्य रही तत्पष्चात उभयपक्षों की बहस सुनी गई।

वकील वादी के अधिवक्ता ने अपनी बहस में अपने वाद में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया की रोही मौजा चक 10 जीजीएम के खाता संख्या 75/35 की कुल 15. 1800हैक भूमि वर्तमान राजस्व रिकार्ड में वादी एवं प्रतिवादीगण के नाम मुश्तरका खाते में दर्ज है ।

वाद भूमि पूर्व में रामस्वरूप के नाम से दर्ज थी जिनके देहान्त होने पर विरास्तन से वादी एव प्रतिवादीगण के नाम विरास्तन से दर्ज हुई है

वादी एव प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 26 एक ही परिवार के सदस्य है जिन्होने आपसी सहमति से बाद भूमि का परिवारिक समझौता किया गया था जिसमें

प्रतिवादी संख्या 10 ,11 ने अपने हक हिस्सा की भूमि प्रतिवादी संख्या 9 के पक्ष में एवं प्रतिवादी संख्या 15 जो वादी का भाई ने अपने हक हिस्सा की भूमि को अपने भाई एव अपने

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
नोहर (हनुमानगढ़)

Scanned with CamScanner

भाई के पुत्रो के पक्ष में तथा प्रतिवादी संख्या 16 ता 20 जो वादी की बहने है ने अपने हक हिस्सा की भूमि का त्याग अपने भाईयों के पक्ष में प्रतिवादी संख्या 21 ता 24 जो वादी के भाई ओमप्रकाश के वारिसा है अपने हक हिस्सा की भूमि का वादी के पक्ष में एव प्रतिवादी संख्या 25 ,26 वादी के भाई रोहताश के वारिस है ने अपने हक हिस्सा प्रतिवादी 7 ,8 के पक्ष में त्याग किया इसप्रकार प्रतिवादी संख्या 9, 10 ,15 ता 26 ने अपने हक हिस्सा की भूमि का त्याग वादी एव प्रतिवादी संख्या 1 ता 8 ,11 ता 14 के पक्ष में किया जा चुका है एवं वादी एव प्रतिवादी संख्या 1 ता 8 ,11 ता 14 ने अपने हक हिस्सा एवं भूमि काश्त की सुविधा को ध्यान में रखते हुए वाद भूमि का बाहमी बटवारा कर लिया है जो वाद की मद संख्या 4 में दर्ज है इसी अनुसार भूमि काश्त करते आ रहे है परन्तु राजस्व रिकार्ड में वादी एव प्रतिवादीगण के परिवारिक समझौता /बाहमी बटवारा के अनुसार दर्ज नही है जिसे बाहमी बटवारा के अनुसार राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा पाने के अधिकारी है।

वादी के वाद को प्रतिवादी संख्या 1 ता 26 ने स्वीकार किया जाकर ईकबाल पेश किया जा चुका है अर्थात वादी के वाद के सम्बध में कोई ऐतराज नही है वादी अपने कथनों के सम्बध में न्यायायिक दृष्टान्त आर.बी.जे. 1998 पेज 615 एवं आरआरडी वर्ष 1998 पेज 646 प्रस्तुत कर निवेदन किया की कोई भी खातेदार काश्तकार आपसी सहमति /राजीनामा के आधार पर अपने हकों को स्थानान्तरण कर सकता है अतः वादी का वाद डिक्री फरमाया जावे।

पेरोकार राज ने निवेदन किया की वादी ने दादालाई/पैतृक सम्पति का वाद पेश किया है वादी के साक्ष्य सबुतों के आधार पर राज्यहकों को सुरक्षित रखते हुए वाद का निस्तारण फरमावे।

हमने उभयपक्षो की बहस सुनी पत्रावली का अवलोकन किया प्रस्तुत रिकार्ड के अनुसार रोही मौजा चक 10 जीजीएम के खाता संख्या 75/35 की कुल 15.1800हैक्‍ भूमि वर्तमान राजस्व रिकार्ड में वादी एवं प्रतिवादीगण के नाम मुश्तरका खाते में दर्ज है ।

वादी का कथन है कि वाद भूमि पूर्व में उनके पूर्व रामस्वरूप के नाम से दर्ज थी जिनके देहान्त होने पर विरास्तन से वादी एव प्रतिवादीगण के नाम से मुश्तरका खाते में दर्ज हुई है वादी एव प्रतिवादी संख्या 1 ता 26 एक ही परिवार के सदस्य है तथा प्रतिवादी संख्या 9 ,10 ,15 ता 26 ने निवेदन किया की परिवारित समझौता /बाहमी बटवारा में उन्होने अपने हक हिस्सा की भूमि का त्याग वादी एव प्रतिवादी संख्या 1 ता 8 ,11 ता 14 के पक्ष में किया जा चुका है इसलिये वाद भूमि वादी एव प्रतिवादी संख्या 1 ता 8 ,11 ता 14 के हक हिस्सा की भूमि है वादी के कथनों को प्रतिवादीगण ने स्वीकार किया जाकर इकबाल पेश कर निवेदन किया जा चुका है कि वाद भूमि वादी एव प्रतिवादी संख्या 1 ता 8 ,11 ता 14 के हक हिस्सा की भूमि है जिसे उनके नाम दर्ज की जाती हे तो ऐतराज नही है।

वादी का कथन है कि वादी एव प्रतिवादी संख्या 1 ता 8 , 11 ता 14 ने वाद भूमि का भूमि काश्त की सुविधा को ध्यान में रखते हुए बाहमी बटवारा किया गया है जो वाद की मद संख्या 4 में दर्ज है इसी अनुसार भूमि राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवाना चाहते है वादी के कथनो को प्रतिवादी संख्या 1 ता 8 ,11 ता 14 ने स्वीकार किया जाकर ईकबाल पेश कर निवेदन किया जा चुका है वादी एव प्रतिवादी संख्या 1 ता 8 ,11 ता 14 के मध्य हुए बाहमी बटवारा जो वाद की मद संख्या 4 में दर्ज है के अनुसार राजस्व रिकार्ड में दर्ज किया जाता है तो किसी प्रकार का ऐतराज नही है ।

वादी के वाद को प्रतिवादीगण के द्वारा स्वीकार करने एवं वादी के द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य सबुत एवं न्यायायिक दृष्टान्तों जो प्रकरण पर चस्पा होते है के आधार पर वाद वादी साबित होने के कारण काबिल डिक्री है तथा प्रतिवादी संख्या 9, 10, 15 ता 26 ने अपने हकों का त्याग किये जाने के कारण राज्यहकों की सुरक्षा के मध्यनजर स्टाम्प डयूटी कायम की जानी न्यायोचित है।

अतः वादी के वाद को प्रतिवादी संख्या 1 ता 26 के द्वारा स्वीकार करने एवं पेरोकार राज का किसी प्रकार का ऐजराज नही होने एवं वादी के द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य सबुतो एवं न्यायायिक दृष्टान्तों के आधार पर वाद वादी साबित होने के कारण डिक्री किया जाकर

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
नोहर (हनुमानगढ़)

Scanned with CamScanner

पर्चा डिक्री

(आडॅर 20, रूल 6–7 जाब्ता दिवानी)

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी नोहर

अनवान :–

1. कृष्ण कुमार पुत्र रामस्वरूप जाति जाट निवासी ढिलकी जाटान तहसील नोहर ।
वादी

बनाम

1 साहबराम पुत्र रामस्वरूप जाति जाट साकिन ढिलकी जाटान तहसील नोहर।
2. चन्दोदेवी पत्नी महावीर जाति जाट साकिन ढिलकी जाटान तहसील नोहर।
3. मोहन पुत्र महावीर जाति जाट निवासी ढिलकी जाटान तहसील नोहर।
4. संगीता पत्नी सुधीर पुत्र महावीर जाति जाट साकिन ढिलकी जाटान तहसील नोहर जिला हनुमानगढ।
5. अक्षय पुत्र सुधीर पुत्र महावीर जाति जाट साकिन ढिलकी जाटान तहसील नोहर।
6. आदित्य पुत्र सुधीर पुत्र महावीर जाति जाट साकिन ढिलकी जाटान तहसील नोहर
7. सुरेन्द्र कुमार पुत्र महेन्द्र सिह जाति जाट साकिन ढिलकी जाटान तहसील नोहर।
8. जगदीश प्रसाद पुत्र महेन्द्रसिह जाति जाट साकिन ढिलकी जाटान तहसील नोहर।
9. कान्ता पत्नी सुरेन्द्रसिह जाति जाट साकिन ढिलकी जाटान तहसील नोहर।
10. अजय कुमार पुत्र राजबाला जाति जाट साकिन ढिलकी जाटान तहसील नोहर।
11. शिवराज पुत्र हेमराज जाति जाट साकिन ढिलकी जाटान तहसील नोहर।
12. भारती पुत्री राजेराम जाति जाट साकिन ढिलकी जाटान तहसील नोहर।
13. मांगेराम पुत्र राजेराम जाति जाट साकिन ढिलकी जाटान तहसील नोहर।
14. राजेराम पुत्र रामजस जाति जाट साकिन ढिलकी जाटान तहसील नोहर।
15. रोहताष पुत्र रामस्वरूप जाति जाट साकिन ढिलकी जाटान तहसील नोहर।
16. शकुन्तला पुत्री रामस्वरूप जाति जाट साकिन ढिलकी जाटान तहसील नोहर।
17. सुमित्रा पुत्री रामस्वरूप जाति जाट साकिन ढिलकी जाटान तहसील नोहर।
18. सावित्री पुत्री रामस्वरूप जाति जाट साकिन ढिलकी जाटान तहसील नोहर।
19. गुडडी पुत्री रामस्वरूप जाति जाट साकिन ढिलकी जाटान तहसील नोहर।
20. हेमलता पुत्री रामस्वरूप जाति जाट साकिन ढिलकी जाटान तहसील नोहर।
21. कमला पत्नी ओमप्रकाश जाति जाट साकिन ढिलकी जाटान तहसील नोहर।
22. मनोज कुमार पुत्र ओमप्रकाश जाति जाट साकिन ढिलकी जाटान तहसील नोहर।
23. मुक्ता पुत्री ओमप्रकाश जाति जाट साकिन ढिलकी जाटान तहसील नोहर।
24. मेधा पुत्री ओमप्रकाश जाति जाट साकिन ढिलकी जाटान तहसील नोहर।
25. सतीश कुमार पुत्र महेन्द्रसिह जाति जाट साकिन ढिलकी जाटान तहसील नोहर।
26. सन्तोष पुत्री महेन्द्रसिह जाति जाट साकिन ढिलकी जाटान तहसील नोहर।
27. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर जिला हनुमानगढ।

प्रतिवादीगण

वाद अन्तर्गत धारा 88, राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

राजस्व वाद संख्या 421 सन 2022 निर्णय दिनांक– 23/06/2022

आज यह वाद मुझ श्वेता कोचर उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) नोहर के समक्ष अधिवक्ता वादी एवं पेरोकार राज की उपस्थिति में अंतिम निपटारे/ निर्णय हेतु प्रस्तुत होने पर वाद वादी साक्ष्य सबुतो एवं प्रतिवादीगण की सहमति के आधार पर साबित होने के कारण वाद वादी डिक्री किया जाकर धोषणा की जाती है कि रोही मौजा चक 10 जीजीएम के खाता संख्या 75/35 की कुल 15.1800हैक भूमि में से प0 नं0 381/471 (29) के किला नं. 5/1 की 0.202 है0, 5/2 की 0.026 है0 गै0 मु0 रास्ता, 5/3 की 0.025 है0 गै0 मु0 खाला, 6/1 की 0.227 है0, 6/2 की 0.026 है0 गै मु0 रास्ता 15/1 की 0.227 है0, 15/2 की 0.026 है0 गै0 मु0 रास्ता, 16/1 की 0.227 है0, 16/2 की 0.026 है0 गै0 मु0 रास्ता, 25/1 की 0.227 है0, 25/2 की 0.026 है0 गै0 मु0 रास्ता व प0 नं0 382/471 (28) के किला नं. 1/1 की 0. 1055 है0, 1/2 की 0.0115 है0 गै0 मु0 रास्ता, 10/1 की 0.1170 है0, 11/1 की 0.0678 है0 कुल तादादी 1.5668 है0 भूमि वादी के नाम दर्ज की जावे तथा प0 नं0 382/471 (28) के किला नं. 1/3 की 0.1215 है0, 1/4 की 0.0145 है0 गै0 मु0 रास्ता, 2/1 की 0.120 है0, 2/2 की 0.014 है0 गै0 मु0 रास्ता, 9/1 की 0.134 है0, 10/2 की 0.136 है0, 11/2 की 0.

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
नोहर (हनुमानगढ़)

Scanned with CamScanner

0745 है0, 12/1 की 0.755 है0 कुल तादादी 0.690 है0 भूमि प्रतिवादी संख्या 1 के नाम दर्ज की जावे तथा प0 नं0 382/471 (28) के किला नं. 2/3 की 0.107 है0, 2/4 की 0.0120 है0, गै0 मु0 रास्ता, 3/1 0.115 है0, 3/2 की 0.013 है0 गै0 मु0 रास्ता, 8/1 की 0.128 है0, 9/2 की 0.119 है0, 12/2 की 0.0668 है0, 13/1 की 0.0717 है0 कुल तादादी 0.6325 है0 भूमि जिसमें से 0.2108 है0 भूमि प्रतिवादी संख्या 2 के नाम दर्ज की जावे व 0.2108 है0 भूमि प्रतिवादी संख्या 3 के नाम दर्ज की जावे 0.2109 है0 भूमि प्रतिवादी संख्या 4 ता 6 के नाम ब0 हि0ब0 दर्ज की जावे व प0 नं0 382/471 (28) के किला नं. 3/3 की 0.112 है0, 3/4 की 0.013 है0 गै0 मु0 रास्ता, 4, 5, 6, 7 की 1.012 है0 जिसमें से नहरी– 0.960 है0 व रास्ता– 0.052 है0, 8/2 की 0.125 है0, 13/2 की 0.0706 है0, 14/1 की 0.1423 है0 प0 नं0 381/470 (22) 16/1 की 0.227 है0, 16/2 की 0.026 है0 गै0 मु0 खाला, 25/1 की 0.227 है0, 25/2 की 0.026 है0 गै0 मु0 खाला व प0 नं0 382/472 (35) के किला नं. 18/1 की 0.12635 है0, 19/1 की 0.1328 है0, 20/1 की 0.1329 है0, 21 की 0.253 है0, 23/1 की 0. 24035 है0 व प0 नं0 382/470 (23) के किला नं. 16 ता 25 की 2.5300 है0 कुल तादादी 5. 6493 है0 भूमि प्रतिवादी संख्या 7 व 8 के नाम ब0 हि0 ब0 दर्ज की जावे तथा प0 नं0 382/472 (35) के किला नं. 1/1 की 0.017 है0, 2/1 की 0.017 है0, 3/1 की 0.165 है0, 8/2 की 0.24035 है0, 9 ता 12 की 1.012 है0, 13/1 की 0.24035 है0 18/2 की 0.114 है0, 19/2 की 0.1202 है0, 20/2 की 0.1201 है0 कुल तादादी 1.8975 है0 भूमि प्रतिवादीया संख्या 9 के नाम दर्ज की जावे व प0 नं0 382/471 (28) के किला नं. 11/3 की 0.1107 है0, 12/3 की 0.1107 है0, 13/3 की 0.1107 है0, 14/2 की 0.1107 है0 व प0 नं0 381/472 (34) के किला नं. 5/1 की 0.227 है0, 5/2 की 0.026 है0 गै0 मु0 खाला, 6/1 की 0.227 है0, 6/2 की 0.026 है0 गै0 मु0 खाला, 15/1 की 0.227 है0, 15/2 की 0.026 है0 गै0 मु0 खाला, 16/1 की 0.227 है0, 16/2 की 0.026 है0 गै0 मु0 खाला प0 नं0 382/171 (28) के किला नं. 17 ता 24 की 2.024 है0 प0 नं0 382/472 (35) के किला नं. 1 की 0.236 है0, 2 की 0.236 है0, 3 की 0.2365 है0, 4 की 0.253 है0, 7 की 0.253 है0, 8/2 की 0.01265 है0, 13/2 की 0.01265 है0, 18/3 की 0.01265 है0, 23/2 की 0.01265 है0 कुल तादादी 4.7439 है0 भूमि जिसमें से प्रतिवादी संख्या 12 को 0.9488 है0 भूमि का व प्रतिवादी संख्या 13 को 2.3718 है0 भूमि का व प्रतिवादी संख्या 14 को 1.4233 है0 भूमि के खातेदार काश्तकार धोषित किया जाता है इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन करने हेतु ईजराय प्रार्थना पत्र के सलग्न 1000/– रू का स्टाम्प तकमीलन शामिल किया जावे। यदि भूमि बैक के रहन हो तो बाद रहनमुक्त राजस्व रिकार्ड में अंकन किया जावे व्यय वाद उभयपक्ष अपना अपना वहन करेगे।

पर्चा डिक्री आज दिनांक 23/06/2022 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालय मुद्रा से जारी की गई ।

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
नोहर (हनुमानगढ)

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
नोहर (हनुमानगढ)

Scanned with CamScanner